सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला – अजमेर (राज.)

राजस्व वाद संख्या – 4065/2015

पीठासीन अधिकारीः– श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

उगमसिंह पुत्र हरिसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम तितरिया तहसील केकडी जिला अजमेर

वादी

बनाम

1. मदनसिंह पत्रु कल्याण सिह जाति राजपूत निवासी ग्राम तितरिया तहसील केकडी जिला अजमेर
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार केकडी जिला अजमेर राज.

प्रतिवादीगण–––

वादपत्र अन्तर्गत धारा,53,188,92ए,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः–25.05.2018

पत्रावली आज केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार केम्प मोलकिया में पेश हुई। वादी/प्रतिवादीगण उपस्थित। उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा **53,188,92ए,209** राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादी की वादग्रस्त भूमि वाके तितरिया तह. केकडी जिला अजमेर की जमाबन्दी स. 2071–74 के खाता स. 182 खसरा नम्बर 443, 445 ,446 सुयक्त खातेदारी हैजिसमें वादी का 1/2 ,प्रतिवादी 1/2 हिस्सा है। इसी अनुसार काबिज काश्त है एवं किसी अन्य व्यक्ति का कोई हक हिस्सा नही है। वादी द्वारा प्रतिवादी स. 1 से वादवर्णित आराजीयात का बंटवारा किये जाने हेतु कहने पर मना कर दिया वादी को बेदखल करने की कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करने की धमकी दी । एवं लडाई झगडा पर आमाद हो गया । अतः अब आराजीयात को सयुक्त काश्त करना संभव नहीं है। जिसके कारण वादी द्वारा यह वाद पेश किया गया है। जिसे स्वीकार फरमाया जाकर बंटवारा करवाये जाने का निवेदन किया है साथ ही प्रतिवादी स. 1 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वादी की कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करें।

हमने वादी का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। पत्रावली में प्रतिवादीगण की और से जवाब पेश नहीं होने से जबाव सरकार नियत है।

पत्रावली लोक अदालत न्याय आपके द्वार में पेश हुयी। हमने उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत वादपत्र व दस्तावेजों का अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादी स. 1 की सहखातेदारी आराजीयात है। उक्त वादग्रस्त आराजीयात सहखातेदारी होने से वाद का संतुलन वादी के पक्ष में है तथा वादी का वाद प्रेमाफेसाई होना जाहिर होता है।

अतः वादी का दावा स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि वाके तितरिया तह. केकडी जिला अजमेर की जमाबन्दी स. 2071–74 के खाता स. 182 खसरा नम्बर 443, 445 ,446 सुयक्त खातेदारी हैजिसमें वादी का 1/2 ,प्रतिवादी 1/2 हिस्सा है। भूमि का मुताबिक जमाबन्दी में दर्ज हिस्से एंव कब्जे अनुसार बंटवारा किये जाने हेतु वादी का दावा डिक्री किया जाता है। तहसीलदार केकड़ी को वादग्रस्त आराजी का बंटवारा किये जाने हेतु मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी का मुताबिक जमाबन्दी में दर्ज हिस्से एवं मौका अनुसार बंटवारा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा, ट्रेस के तैयार कर न्यायालय हाजा में पेश करें।

निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी